भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2551

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

2551. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक मंत्रालय के अधीन विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) के अंतर्गत निधियां आवंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार देश में विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और किन मदों के अंतर्गत व्यय किया गया है तथा स्थान-वार लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में विशेषकर पिछड़े तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में सीएसआर निधियों को व्यय करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है अथवा शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई), कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी गतिविधियां संचालित करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन सीपीएसई द्वारा संचालित सीएसआर गतिविधियों का विवरण संलग्नक में दिया गया है। संबंधित सीपीएसई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

बहुल जिलों में विशेष रूप से किए गए सीएसआर व्यय के संबंध में पृथक आंकड़ों का रखरखाव नहीं करते हैं।

(ग): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर एक निदेशक मंडल-संचालित प्रक्रिया है तथा कंपनी का निदेशक मंडल अपनी सीएसआर समिति की अनुशंसाओं के आधार पर सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, उन्हें अनुमोदित करने, कार्यान्वित करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए सक्षम है। सीएसआर समिति कंपनी की सीएसआर नीति का निर्माण कर उसकी अनुशंसा करती है, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुरूप देश के किसी भी भाग, जिसमें देश के पिछड़े तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, में संचालित की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों का उल्लेख होता है।

(घ) और (ङ): प्रश्न ही नहीं उठता।

******

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 2551 का संलग्नक

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष	सीएसआर खंड का नाम	ज़िला	राज्य	लाभार्थियों की संख्या	कुल व्यय (लाख में)
1	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	2023-24	स्वास्थ्य देखभाल / निवारक स्वास्थ्य देखभाल	चंदौली और सोनभद्र	उत्तर प्रदेश	800	17.00
		2024-25	शिक्षा एवं आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	मामित	मिजोरम	2031	20.50
		2025-26	स्वास्थ्य एवं पोषण; महिला सशक्तिकरण; सुरक्षित पेयजल	नादिया और दक्षिण 24 परगना	पश्चिम बंगाल	25700	50.00
				चंदौली	उत्तर प्रदेश		
2	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	2023-24	शिक्षा एवं आजीविका संवर्धन परियोजनाएं तथा पीएम केयर्स फंड में अंशदान	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	70	22.07
		2024-25	पीएम केयर्स फंड में अंशदान	-	-	-	30.66
		2025-26	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा पीएम केयर्स फंड में अंशदान	पुडुकोट्टई	तमिलनाडु	2000	54.09
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2023-24	स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आजीविका संवर्धन परियोजनाएं तथा पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान	वाराणसी और चंदौली	उत्तर प्रदेश	11058810	517.66
				कंधमाल	ओडिशा		
				टांडा	हिमाचल प्रदेश		
				सूर्यापेट	तेलंगाना		
				दिल्ली	दिल्ली		
		2024-25	स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा एवं आजीविका संवर्धन परियोजनाएं तथा पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान	हरिद्वार	उत्तराखंड	24380	407.44
				रंगारेड्डी	तेलंगाना		
				झाँसी और जी.बी. नगर	उत्तर प्रदेश		
				निवाड़ी	मध्य प्रदेश		
				थूथुकुडी, तिरुवल्लूर, तिरुनेलवेली	तमिलनाडु		
		2025-26	स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता एवं आजीविका	पश्चिम गोदावरी और	आंध्र प्रदेश	912963	582.21

			संवर्धन परियोजनाएं तथा भूख और कुपोषण को खत्म करना	विशाखापत्तनम			
				मांड्या और बेंगलुरु	कर्नाटक		
				अमरावती और नागपुर	महाराष्ट्र		
				भोपाल और निवाड़ी	मध्य प्रदेश		
				अंगुल	ओडिशा		
				पेरम्बलुर, पुदुक्कोट्टई, रानीपेट और तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु		
				संगारेड्डी, विकाराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल-मलकजगिरी	तेलंगाना		
				वाराणसी, चंदौली, अमेठी, झाँसी और कानपुर	उत्तर प्रदेश		
				हरिद्वार और रुद्रपुर	उत्तराखंड		
4	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	2023-24	स्वास्थ्य एवं पोषण; शिक्षा एवं रोजगार	विकाराबाद	तेलंगाना	3188	42.96
				कार्बी आंगलोंग	असम		
				सिरमौर	हिमाचल प्रदेश		
				कानपुर	उत्तर प्रदेश		
		2024-25	स्वच्छता; स्वास्थ्य एवं पोषण तथा शिक्षा एवं रोजगार	विकाराबाद	तेलंगाना	3010	31.44
				कार्बी आंगलोंग	असम		
				सिरमौर	हिमाचल प्रदेश		
				कानपुर	उत्तर प्रदेश		
5	एचएमटी लिमिटेड	2023-24	शिक्षा; स्वास्थ्य तथा पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान	बेंगलुरु	कर्नाटक	2305	56.55
				औरंगाबाद	महाराष्ट्र		
		2024-25	स्वास्थ्य; शिक्षा; और पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान	मांड्या और बेंगलुरु	कर्नाटक	27108	47.00
				इंदौर	मध्य प्रदेश		
6	हिंदुस्तान साल्ट्स	2023-24	पीएम केयर्स फंड; और स्वच्छ भारत कोष में योगदान	-	-	-	11.82

	लिमिटेड	2024-25	पीएम केयर्स फंड; और स्वच्छ भारत कोष में योगदान	-	-	-	16.77
		2025-26	पीएम केयर्स फंड में योगदान; स्वच्छ भारत कोष में योगदान; स्वास्थ्य और पोषण; और अन्य सामाजिक कार्य	मंडी	हिमाचल प्रदेश	-	17.58
				सुरेंद्रनगर	गुजरात		
				जयपुर	राजस्थान		
7	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	2023-24	शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान	किटपी	अरुणाचल प्रदेश	2380	14.72
				पलक्कड़	केरल		
					उत्तर प्रदेश		
		2024-25	बुज़ुर्ग नागरिकों के लिए सुविधाएँ; स्वास्थ्य और पोषण	पलक्कड़ और कोट्टायम	केरल	435	14.99
		2025-26	स्वास्थ्य और पोषण; शिक्षा	कोयंबटूर और इरोड	तमिलनाडु	1300	15.28
				पलक्कड़	केरल		
				तिनसुकिया	असम		
8	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड	2023-24	स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विकास	कार्बी आंगलोंग	असम	-	39.81
		2024-25	पीएम केयर्स फंड में योगदान	-	-	-	44.57
9	सांभर साल्ट्स	2023-24	पीएम केयर्स फंड और स्वच्छ भारत कोष में योगदान; और सोलर पावर पैनल लगाना	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	1000	18.51
		2024-25	पीएम केयर्स फंड और स्वच्छ भारत कोष में योगदान	-	-	-	28.39
		2025-26	स्वास्थ्य और पोषण; और अन्य सामाजिक कार्य	जयपुर	राजस्थान	-	26.19
				अयोध्या	उत्तर प्रदेश	-	